संख्या- 24 /2015/104 बीपी/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 03 जून, 2015

विषय:बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में शासनादेश संख्या-480(1)/35-आ-1/2013 दिनांक 07 मार्च, 2013 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन Restoring capacities of canals, repairs, renovation and remodelling of canals नामक मद के अंतर्गत निम्न परियोजनाओं को उनके सामने इंगित लागत, जिनका कुल योग रू. 7890.15 लाख (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 6738.69 लाख और मनरेगा रू. 1151.46 लाख) है, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू.6738.69 लाख की धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 02.10 लाख का व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2013-14 में परियोजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु रू. 6736.59 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 1587.16 लाख का व्यय किया गया और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में परियोजनाओं हेतु रू. 5149.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 3592.13 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 तक परियोजनाओं में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल मिलाकर रू.5181.39 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। इस प्रकार परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की अनुमोदित लागत रू.6738.69 लाख के सापेक्ष रू.1557.30 लाख की सहायता अवशेष बचती है। एतद्द्वारा परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष अवशेष देय रू. 1557.30 लाख(रूपये पन्द्रह करोड़ सत्तावन लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://Shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

	परियोजना का नाम	कुल लागत	कुल लागत में		31 मार्च, 2015 तक ए.सी.ए. के रूप में व्यय धनराशि	अवमुक्त धनराशि
			अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंश	मनरेगा अंश		
1	Lining and restoration of Sumerpur Branch.	498.06	423.35	74.71	423.35	0.00
2	Restoration and lining of Hamirpur Branch	1931.27	1641.58	289.69	596.28	1045.30
3	Restoration and lining of Jalalpur and	880.7	748.59	132.11	748.59	0.00
4	Lining and restoration of Arjun Canal	1213.44	1031.42	182.02	877.19	154.23
5	Lining and restoration of Urmil Canal.	476.77	405.25	71.52	344.19	61.06
6	Lining and restoration of Kabrai Canal.	422.89	359.46	63.43	359.46	0.00
7	Lining and restoration of Chandrawal Canal.	495.57	421.23	74.34	283.52	137.71
8	Restoration and lining of Ranirpur Branch	747.24	635.15	112.09	601.15	34.00
9	Restoration of Payasvani Canal	285	242.25	42.75	242.25	0.00
10	Restoration of canal system Khapatiha,	297.58	252.94	44.64	252.94	0.00
11	Restoration and lining of Kartal canal system.	641.63	577.47	64.16	452.47	125.00
	Total	**7890.15**	**6738.69**	**1151.46**	**5181.39**	**1557.30**

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

2- इस शासनादेश से परियोजनों की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानको के अनुरूप गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा तथा लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3- मनरेगा से अपेक्षित धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून 2016 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-79-नहरों की लाइनिंग तथा पुनर्स्थापना का कार्य-24-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा। । उक्त धनराशि आदेश संख्या-यू.ओ. 09 बीपी/35-1-2015, दिनांक 02 जून, 2015 द्वारा लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-00-42-अन्य व्यय में उपलब्ध बचतों में से पुनर्विनियोग कर स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 24/2015/104 बीपी (1)/35-1-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन/ग्राम्य विकास विभाग ।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6-मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।
7-जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in